



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 17.02.2024 को वादी की द्वारा थाना रामपुर मनिहारान पर उपस्थित आकर लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अंकुश पुत्र अमन निवासी ग्राम महाराणा प्रताप कालोनी थाना नानौता जिला सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 44/24 धारा 366 भादंवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु सम्बन्धित को दिशा-निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अंकुश पुत्र अमन नि0 ग्राम महाराणा प्रताप कालोनी थाना ननोता जिला सहारनपुर** को शहरीपुल के पास से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान और मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376/506/342/34 भादवि की वृद्धि की गयी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अंकुश पुत्र अमन नि0 ग्राम महाराणा प्रताप कालोनी थाना नानौता जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1 प्र0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
- 2- उप नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर
3. का0 2049 ब्रजेश कुमार थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास का 01 शातिर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 नाजायज छुरी, 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 10.03.2024 को वादी असजद पुत्र अली नवाज निवासी ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा थाना नानौता पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी कि बाबू उर्फ समरयाब पुत्र सलीम व उसके दो अन्य साथियों द्वारा एक राय होकर वादी के साथ मारपीट, गाली गलौच करना व जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 44/2024 धारा 307,323,324,504,506,34 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे शातिर अपराधी **बाबू उर्फ समरयाब पुत्र सलीम निवासी ग्राम सिजूड थाना नानौता जिला सहारनपुर** को अनन्तमऊ नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त बाबू उर्फ समरयाब उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज बरामद हुए। अभियुक्त बाबू उर्फ समरयाब की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त एक नाजायज छुरी बरामद की गयी। तमंचा बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0सं0 81/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा पूर्व मे पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2024 धारा 307,323,324,504,506,34 भादवि मे धारा 4/25 आयुध अधि0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। दिनांक 10.03.24 को मेरा ग्राम तुरमतखेडी के असजद से झगडा हो गया था मैंने अपने साथियो के साथ मिलकर उस पर छुरी से जानलेवा वार किया था तथा छुरी को मैंने बाग मे छिपाकर रख दिया था जो मुझसे पुलिस ने बरामद कर ली है। जो तमंचा मुझसे मिला है वह मैंने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम पता मैं नही जानता।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बाबू उर्फ समरयाब पुत्र सलीम निवासी ग्राम सिजूड थाना नानौता जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर
- 01 नाजायज छुरी

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 44/24 धारा 307,323,324,504,506,34 भादवि व 4/25 आयुध अधि0 थाना नानौता
2. मु0अ0सं0 295/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता
3. मु0अ0सं0. 107/20 धारा 380/411 भादवि थाना नानौता
4. मु0अ0सं0 258/20 धारा 380/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारान
5. मु0अ0सं0 01/15 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना दौघट बागपत
6. मु0अ0सं0 193/14 धारा 392/411 भादवि थाना कैराना शामली
7. मु0अ0सं0 404/14 धारा 392/411 भादवि थाना कैराना शामली
8. मु0अ0सं0 81/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 नीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 शीशापल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

01 नाजायज छुरा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.04.2024 को गश्त के दौरान अभियुक्त नदीम पुत्र समीम निवासी मक्का मस्जिद के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मानकमऊ ककराला रोड पर ईदगाह से ग्राम ककराला की तरफ 50 कदम दूर से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 01 अवैध छुरा बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त नदीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 107/2024 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त नदीम उपरोक्त ने बताया कि यह छुरा मैं आस पास को लोगो को डराने धमकाने एवं शौक में रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नदीम पुत्र समीम निवासी मक्का मस्जिद के पास मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अवैध छुरा

अभियुक्त नदीम का आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 209/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर
- मु0अ0सं0 107/2024 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कुतुबशेर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- का0 2175 गोपाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
- का0 2262 मानवेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से
308 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा दो शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. फरमान पुत्र वसीम निवासी अलावलपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 2. नसीर अहमद पुत्र स्व0 सईद निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को थापुल रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 308 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 66/2024 धारा 332/353 भादवि व 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण फरमान व नसीर अहमद उपरोक्त दोनों ने एक स्वर बताया कि हमारा एक अनजान व्यक्ति जो बरेली का रहने वाला है वह बरेली से स्मैक खरीदकर लाता है, उससे हम स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर बिहारीगढ व आस पास के क्षेत्रों में अधिक दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आज जब हम स्मैक बेचने जा रहे थे तो पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. फरमान पुत्र वसीम नि0 अलावलपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
2. नसीर अहमद पुत्र स्व0 सईद नि0 ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त फरमान का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 269/2018 धारा 376/506 भादवि 3/4 पोक्सो अधि0 थाना भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरण –

308 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ब्रजपाल सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
4. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
5. का0 2514 रन्जीत कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

6. का0 1557 गौरव पवांर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
7. का0 2332 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर शराब तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार,
कब्जे से 18 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर शराब तस्कर अभियुक्तगण 1. साहिल उर्फ शालू पुत्र मौ० आरिफ नि० चांद कालोनी हलवाईयान मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर 2. सावेज उर्फ अतीक पुत्र नसीर नि० चांद कालोनी हलवाईयान मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर को सरकारी क्वार्टरो व पानी की टंकी के बीच में बनी दुकानो पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 18 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु०अ०स०138/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि जो शराब पुलिस टीम द्वारा हमसे आज बरामद कि गयी है उसे हम हरियाणा राज्य से सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता –

1. साहिल उर्फ शालू पुत्र मौ० आरिफ नि० चांद कालोनी हलवाईयान मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर
2. सावेज उर्फ अतीक पुत्र नसीर नि० चांद कालोनी हलवाईयान मस्जिद के पास थाना मण्डी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास – (साहिल उर्फ शालू)

1. मु०अ०सं० 83/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

आपराधिक इतिहास – (सावेज उर्फ अतीक)

1. मु०अ०सं० 189/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

18 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

उ०नि० प्रमोद कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
है०का० 663 बालेन्द्र थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
का० 1090 अमित कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
का० 1802 बिट्टू कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



दिनांक: 03.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, पुलिस द्वारा गौकशी के वांछित 04 अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार, कब्जे से गौकशी के उपकरण बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण वारन्टी/वांछित एवं गौकशी की घटना कारित करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 35/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम के वांछित अभियुक्तगणों को आज दिनांक 03.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा लाण्डा पुल के पास से 04 अभियुक्त 1. फरमान पुत्र बदलू उर्फ अब्दुल रहमान, 2. महमूद उर्फ लम्बू पुत्र महबूब नि0गण मौहल्ला चौथाई ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर, 3. नईम पुत्र गफ्फूर व 4. शकूर पुत्र लियाकत नि0गण खैरी थाना मिर्जापुर सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। वांछित पकड़े गये अभियुक्तगणों के कब्जे से मौके पर गौकशी के उपकरण (01 कुल्हाड़ी, 01 दांव, छूरी व रस्सी) बरामद हुए। अभियुक्तगणों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावही करते हुए समय से न्यायालय पेश किया जा रहा है।

सभी अभियुक्तगणों से पूछताछ की गयी तो सभी ने एक स्वर में बताया कि हम चारों मिल जुलकर गौकशी करके उसके मांस को बेचकर अपना खर्चा चलाते हैं। अब से करीब एक माह पूर्व हम चारों ने एक आवारा गौवंशीय पशु को रायपुर से आलमपुर जाने वाले रास्ते से काफी अन्दर एक बाग में काटकर उसके अवशेषों पर मिट्टी डाल दी थी और उसके मांस को ले जाकर इधर ऊधर बेच दिया था। जब इस गौकशी की घटना के बारे में पुलिस को पता लग गया था तब से हम इधर ऊधर बचकर भाग रहे थे। आज भी हम लोग किसी आवारा गौवंशीय पशु को पकड़ कर काटने वाले थे कि पुलिस टीम द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. फरमान पुत्र बदलू उर्फ अब्दुल रहमान, निवासी मौहल्ला चौथाई ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
2. महमूद उर्फ लम्बू पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला चौथाई ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
3. नईम पुत्र गफ्फूर निवासी खैरी थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
4. शकूर पुत्र लियाकत निवासी खैरी थाना मिर्जापुर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

गौकशी के उपकरण (छूरी व रस्सी, एक अदद कुल्हाड़ी व एक दांव)

अभियुक्त फरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 31/18 धारा 147, 148, 223, 332, 504, 506 भादवि व 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

2. मु0अ0स0 35/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

अभियुक्त महमूद उर्फ लम्बू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 14/02 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।

2. मु0अ0स0 35/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

अभियुक्त नईम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 35/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

अभियुक्त शकूर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 158/13 धारा 4बी/8 सीएस एक्ट थाना खिज्राबाद जिला यमुनानगर हरियाणा ।

2.. मु0अ0स0 286/14 धारा 4बी/8 सीएस एक्ट थाना बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा ।

3. मु0अ0स0 28/23 धारा 279,337,338 भादवि थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर हरियाणा ।

4. मु0अ0स0 35/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

2. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

3. उ0नि0 नवीन कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

4. का0 2319 दानवीर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

5. का0 1131 सूरज शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।

6. का0 2284 श्रीकृष्ण थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01

अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर दौराने चैकिंग थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त **लियाकत पुत्र अब्बास निवासी ग्राम हरौडा अहतमाल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को हरौडा कट से उत्तर की ओर बागों की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से **01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर** नाजायज बरामद हुये। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना गागलहेडी पर **मु0अ0सं0 056/2024 धारा 3/25 आर्मर्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभि0 लियाकत उपरोक्त थाना हाजा के मु-0सं0अ0 18/24 धारा 380/511 भादवि में भी वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त लियाकत उपरोक्त ने बताया कि साहब दिनांक 24.01.2024 को दिन में मैंने गागलहेडी तिराहे पर फूल वाले की दुकान पर नोटों की मालाए मैंने देखी और उसी रात को मैंने उस दुकान में चोरी का प्रयास किया था परन्तु पुलिस की गाडी का सायरन सुनकर मैं डर कर वहाँ से भाग गया था। मैं पहले भी गौकशी के मुकदमे में जेल जा चुका है। अपराध कारित करने और अपनी सुरक्षा के लिये मैं अपने पास अस्लाह रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लियाकत पुत्र अब्बास निवासी ग्राम हरौडा अहतमाल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 79/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना गागलहेडी
2. मु0अ0सं0 166/2022 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना गागलहेडी
3. मु0अ0सं0 194/2022 धारा 3/25 आर्मर्स एक्ट थाना गागलहेडी
4. मु0अ0सं0 203/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गागलहेडी
5. मु0अ0सं0 257/2021 धारा 4/25 आर्मर्स एक्ट थाना गागलहेडी
6. मु0अ0सं0 341/2022 धारा धारा 2/3 गैंगस्टर थाना गागलहेडी
7. मु0अ0सं0 430/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता थाना गागलहेडी
8. मु0अ0सं0 18/2024 धारा 380/511 भादवि थाना गागलहेडी

9. मु0अ0स0 56/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना गागलहेडी

बरामदगी का विवरण –

01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 अनित यादव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
3. है0का0 810 राहुल गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
4. का0 12 टुकेश थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।
5. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ।



दिनांक: 03.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्क़र गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर कच्ची

शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03.04.2024 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त सुनील पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को मय 20 लीटर कच्ची शराब के इस्लामनगर रोड कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 101/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम तारिफ उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुनील पुत्र रामकुमार नि0 ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

20 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर